लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1051

27 जुलाई, 2015 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्र

1051. डॉ. मनोज राजोरिया:

डॉ. उदित राज:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इन संयंत्रों की वित्तीय स्थिति सहित देश में सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्यरत इस्पात संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों के संबंध में सरकारी और निजी क्षेत्र में इस्पात उद्योग के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सहित अनेक सरकारी क्षेत्र के संयंत्र सरकार द्वारा सतत् रूप से सहायता प्रदान किए जाने के बावजूद भी गत तीन वर्षों से हानि में चल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए नई इस्पात नीति में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस्पात क्षेत्र के विकास में इससे किस सीमा तक सहयोग मिलने की संभावना है?

उत्तर

इस्पातत और खान राज्यह मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): भारत में इस्पांत निर्माण की सार्वजनिक क्षेत्र में दो कंपनियां मौजूद है नामश: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीसय इस्पा्त निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)। सेल और आरआईएनएल दोनों लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं।

इस्पानत एक नियंत्रण मुक्तल क्षेत्र है। सरकार की भूमिका एक सुविधादाता मात्र के रूप में होती है। उपलब्ध) आंकड़ों के मुताबिक देश में क्रूड इस्पारत का उत्पाकदन करने वाले लगभग 1300 इस्पा त संयंत्र प्रचालन कर रहे है। निजी इस्पा त संयंत्रों की लाभ-हानि के आंकड़े इस्पाेत मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ख): इस्पाशत मंत्रालय अपने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्य निष्पामदन का नियमित रूप से समीक्षा करता हैं। इन बैठकों में दूसरे मंत्रालयों /विभागों और साथ ही राज्य सरकारों के साथ भी उठाये जाने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के लंबित मुद्दों को अभिज्ञात किया जाता है और उन पर कार्यवाई की जाती है।

इस्पारत एक नियंत्रण मुक्ति क्षेत्र है। सरकार की भूमिका एक सुविधादाता मात्र के रूप में होती है और इसलिए, सरकार का निजी क्षेत्र के इस्पाीत उद्योग के कार्य निष्पांदन पर कोई नियंत्रण नहीं होता।

(ग): सेल और आरआईएनएल सरकार से कोई वित्तीैय सहायता प्राप्त् नहीं करते है तथा वे लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) हैं।

(घ) और (ड.): राष्ट्रीय इस्पायत नीति 2005 में देश के लिए इस्पाकत उत्पाादन का कोई लक्ष्यल निर्धारित नहीं किया गया है। नीति के अंतर्गत वर्ष 2019-20 तक 110 मिलियन टन इस्पालत उत्पासदन क्षमता की परिकल्पाना की गई है। देश में उत्पा9दन क्षमता 108 मिलियन टन है।

***